# कार्यालय नगरपालिका रतननगर (चूरू)

**नगरपालिका रतननगर क्षेत्र में सम्पूर्ण साफ–सफाई एवं कचरा संग्रहण कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने के कार्य की शर्तें**

## ❖ निविदा की समान्य शर्तें

1. निविदादाता द्वारा पंजिकृत होने का प्रमाण पत्र निविदा प्रति संलग्न प्रस्तुत करना होगा।
2. कार्य आदेश प्राप्त होते ही स्टाप पर अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदाकार द्वारा सेवा प्रदाता का सर्विस चार्च की राशि न्यूनतम 1 रूपये भरनी होगी शून्य अथवा शून्य के दशमलव में सर्विस चार्ज राशि भरने पर संबंधित संवेदक/संस्था की बोली निरस्त समझी जावेगी।
4. उपलब्ध कराये गए श्रमिकों को समस्त गली, मौहल्ले, सड़को आदि की नियमित रूप से सफाई, झाड़िया, घास आदि की समय–समयपर कटाई 'एवं भूमिगत ड्रेनजं नालों एवं सीवर लाइन को छोड़कर कार्य क्षेत्र में स्थित समस्त छोटे बड़े नाले- नालियों की सफाई आदि का कार्य अनिवार्य रूप से निर्देशानुसार करना होगा।
5. सफाई का कार्य दो पारियों प्रातः 6.00 बजे से 11.00 बजे व दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक करवाना होगा।कार्य एवं आवश्यकतानुसार समय परिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु यह 8.00 घंटे से अधिक नही होगा। आवश्यकतानुसार रात्रिकालीन सफाई भी करवानी होगी।
6. कर्मचारियो को निर्धारित रंग का जाकेट पहनाकर कार्यस्थल पर लगाना अनिवार्य होगा।
7. कार्यादेश के अनुसार संवेदक को श्र्मिक उपलब्ध कराने होगे।
8. ठेका अवधि कार्यादेश जारी होने से स्वीकृत दर पर 31 मार्च 2022 तक रहेगी। जिसे पालिका द्वारा नियमानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।
9. श्रमिकों द्वारा कार्य सन्तोषजनक रूप से नही करने पर ठेके की अवधि समय से पूर्व सात (7) दिन का नोटिस दिया जाकर के समाप्त कर दी जायेगी। एवं जमा राशि जब्त कर दी जायेगी।
10. ठेके के कार्य का औचक निरीक्षण अधिशाषी अधिकारी एवं नगरपालिका द्वारा नियुक्त समिति स्वास्थय एंव स्वच्छता समिति या अन्य अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी,अथवा प्रतिदिन निरीक्षण हल्के से सम्बन्धित स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई जमादार द्वारा किया जवेगा। ठेकेदार को स्वयं अथवा अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि (जिसकी लिखित सूचना पूर्व मे नगरपालिका को दी गयी होगी), को निरीक्षण हेतु जब भी बुलाया जावेगा, उपस्थित होना पड़ेगा एवं हल्के का साथ में रह कर के निरीक्षण करवाना होगा तथा मौके पर दिये गये निर्देशो की पालना करनी होगी। ठेकेदार/नियुक्त प्रतिनिधि को कार्यालय मे बुलाये जाने पर उपस्थित होना होगा एवं ठेके से सम्बन्धित

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रतननगर

Scanned with CamScanner

बताये जाने वाले कार्य को करवाना होगा। बैठक हेतु बुलाये जाने पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति मे नियमानुसार शास्ति आरोपित होगी।

11. निरीक्षण के दौरान का श्रमिकों का कार्य सन्तोषजनक नही पाए जाने पर संवेदक को नोटिस जारी करते हुये परिषद द्वारा नियमानुषार शास्तियां आरोपित की जावेगी। यदि लम्बी अवधि तक संतोषजनक कार्य नही किया जाता है तो संवेदक फार्म को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।

12. श्रमिकों हेतु सफाई सम्बन्धी समस्त प्रकार के औजार जैसे झाड़ु, खुरपी, हाप, छाजली, हाथ थेले, तगारी, फावड़े, गैंती, बास, नाले खोलने के उपकरण गमबूट गलब्स ,मास्क की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं के होगे।

13. ठेके में मात्र पंजीकृत ठेकेदार ही भाग ले सकेगें। जिन्हे भी नियमानुसार धरोहर राशि जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।

14. समयावधि से पूर्व ठेकेदार द्वारा अपनी स्वेच्छा से कार्य बन्द कर देने अथवा श्रमिकों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर नगरपालिका द्वारा बीच में ही ठेका निरस्त कर देने पर उसकी जमा धरोहर व प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर के शेष आवधि का कार्य ठेकेदार की रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाया जाकर के अन्तर राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

15. प्रतिमाह बिल का प्रमाणिकरण सफाई प्रभारी तथा सफाई निरीक्षक अथवा पालिका द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किये जाने पर ही भुगतान किया जावेगा।

16. विवाद की स्थिति मे अधिशाषी अधिकारी/अधिकृत समिति/नगरपालिका एवं सफल संवेदक के मध्य वार्ताकर निर्णय लिया जावेगा। जो दोनो पक्षो को मान्य होगा। न्याय क्षेत्र चूरू होगा।

17. लेबर एक्ट प्रावधानों की पूर्ण पालना करनी अनिवार्य होगी। न्यायालय में किसी प्रकार का वादा दायरा होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। न्यायीक क्षेत्र चूरू होगा।

18. निर्णय के विरूद्व 30 दिवस मे अध्यक्ष नगरपालिका को अपील की जा सकेगी। अध्यक्ष नगरपालिका आरबिट्रैटर अधिकारी होगे।

19. निविदा बिना किसी कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशाषी अधिकारी /अधिकृत समिति/नगरपालिका मे निहित रहेगा।

20. नियमानुसार समस्त प्रकार के करो के भुगतान की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

21. ठेकेदार को अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा अथवा होने वाली वैधानिक कार्यवाही के लिए ठेकेदार निजी रूप से उत्तरदायी होगा। संवेदक/स्वीकृत निविदादाता को उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान परिपत्रक्रमांक/एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/7/82दिनांक 6.3.2019 अनुसार करना होगा।

22. न्युनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

23. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हेतु बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रतननगर

Scanned with CamScanner

24. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक ( नियमन एवं उन्नमूलन) अधिनियम 1970 रजिस्ट्रैशन की प्रति कार्य आवंटित होने के उपरान्त निर्देशित समय सीमा के अन्दर नगर पालिका में प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष के पास निहित होगा।

25. उक्त कार्य की बोली प्रपत्र के साथ इस पालिका में पंजीकृत संवेदकों/ठेकेदार, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत/ इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति, पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था आवेदन के साथ – साथ GST रजिस्ट्रेशन की प्रति, पंजीकृत रजिस्ट्रेशन की प्रति, पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

26. कार्य के लिये निम्न प्रकार के शुल्क जमा करवाना होगा :–

- प्रोसेसिंग फिस शुल्क का ई–ग्रास चालान ........... /– रूपये देय **MD,RISL Jaipur**
- निविदा प्रपत्र शुल्क डीडी ................. /– रूपये देय **अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रतननगर**

27. कार्य की अनुमानित लागत 25,00,000/-रूपये वार्षिक मानी गई है। जिसकी अमानत राशि इस पालिका/परिषद चूरू में पंजीकृत ठेकेदारों से 0.50 प्रतिशत 12500/–रूपये व अन्य से 2.00 प्रतिशत 50000/–रूपये का डीडी **अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, रतननगर** के नाम से जरिये डीडी जमा करवाने पर ही निविदा प्रपत्र स्वीकार किया जावेगा।

28. न्युनतम दर दाता की दरें स्वीकार होने व कार्य आदेश दिये जाने तक अमानत राशि जमा रखी जावेगी तथा शेंष दर दाताओं के द्वारा जमा अमानत राशि के डीडी लौटा दिये जावेगे।

29. कार्य की दरें स्वीकृत होने पर ठेकेदार को कार्यादेश का 5.0 प्रतिशत परफोरमेंस गारन्टी हेतु जमा करवानी होगी। इसके पश्चात् 500/– रूपये के स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादन होने के पश्चात् ही वर्क ऑर्डर दिया जावेगा। परफोरमेंस गारन्टी राशि जो वितीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् लोटा दी जावेगी तथा परफोरमेंस गारन्टी राशि जमा होने पर ठेकेदार द्वारा जमा अमानत राशि लोटा दी जावेगी।

30. ठेका स्वीकृत होने पर नगरपालिका द्वारा कार्य आदेश प्रदान करने पर उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों को परिचय पत्र फोटो युक्त ठेकेदार/फर्म के द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जारी किये जावेगे। कार्यरत श्रमिकों को परिचय पत्र डयूटी समय पर लाने अनिवार्य होगा। श्रमिकों की सूची कार्यादेश के तुरन्त बाद नगरपालिका को प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

31. कार्य निर्धारण वाडों में कार्यरत सफाई निरीक्षकों के द्वारा किया जावेगा। किसी भी श्रमिक का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उसको हटाये जाने पर उसके स्थान पर अन्य श्रमिक ठेकेदार/फर्म को उपलब्ध करवाने होगे।

32. राज्य सरकार / नगरपालिका द्वारा समय समय पर जारी आदेश–निर्देशों की पालना करनी होगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रतननगर

Scanned with CamScanner

33. सेवाकर की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार स्वयं की होगी, तथा सेवाकर नम्बर देने होगे।
34. नगरपालिका द्वारा नियमित वेतन श्रृंखला मे राज्य सरकार के आदेशानुसार/निर्देशानुसार सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने पर सफाई कर्मचारी की उपलब्धता होने पर संवेदक को जारी कार्यादेश अवधि मे परिवर्तन किया जा सकता है यानि कार्यादेश अवधि घटाई जा सकेगी। जिसका संवेदक द्वारा किसी प्रकार का उजर ऐतराज नही किया जायेगा।
35. राज्य सरकार द्वारा A TO Z सफाई कार्य शुरू करने व अन्य आदेश आने पर निविदाऐं समाप्त कर दी जायेगी।
36. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देय पारिश्रमिक का भुगतान चैक/बैंक के माध्यम से किया जाना होगा जिसकी छायाप्रति/सूचना आगामी माह के प्रस्तुत बिल के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी अन्यथा आगामी भुगतान देय नहीं होगा।
37. श्रम रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना जो कि भारत का राजपत्र मे दिनांक 08 जनवरी 2011 में प्रकाशित हुई है, की पालना करूगा व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के परिपत्र आरजे/ एसआरओ/जेओडी/कम्पलेन्स/10246 दिनांक 08.02.17 का समय–समय पर जारी आदेशो निर्देशो की पालना करनी होगी।
38. जिस फर्म का ईपीएफ/ईएसआई में जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही फर्म निविदा में भाग ले सकती है जिसकी रजिस्ट्रेशन की प्रति निविदा कॉपी के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। समय समय पर ईपीएफ जमा करना होगा। जिसकी रसीद प्रथम माह के भुगतान पश्चात एवं द्वितीय माह के भुगतान से पूर्व नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा आगामी माह का भुगतान नही दिया जायेगा।
39. नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ, शरिरिक रूप से असक्षम, बाल श्रमिक कार्य पर नही लिया जावेगा। ऐसे श्रमिकों से कार्य कराये जाने पर संवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
40. संवेदक द्वारा अपने व्यय से सुरक्षात्मक वस्त्र व उपकरण श्रमिकों को उपलब्ध कराकर ही कार्य पर भेजना होगा।
41. सुरक्षात्मक वस्त्र व उपकरण के अभाव मे होने वाली दुर्घटना के लिये संवेदक पूर्णता उतरदायी होगा।
42. कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने/चोट आदि लगने पर सभी प्रकार का उत्तरदायित्व (वितिय एवं विधिक) संवेदक का होगा। नगरपालिका ् किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उत्तरदायी नही होगी।
43. कार्य समय मे होने वाली दुर्घटना की पूर्ण जानकारी आगामी दिवस को लिखित मे नगरपालिका ् मे प्रस्तुत करेंगें।
44. **नगरपालिका यदि अपरिहार्य कारणों से मासिक बिलों का भुगतान नहीं कर पाती है तो, संवेदक को कम से कम 2 माह तक स्वय के स्तर पर कार्य को निविदा शर्तों के अनुरूप संपादित करना होगा।**
45. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
46. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/करने का अधिकार अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष को होगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रतननगर

Scanned with CamScanner

47. बिना कारण बताये बोली प्रपत्र/दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
48. स्वच्छ भारत मिशन के तहत, विशेष सफाई अभियान, दिपावली, ईद, तीज, होली व ताजिये इत्यादि त्यौहारों पर अतिरिक्त सफाई व्यवस्था हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु कार्यादेश दिये जाने पर ठेकेदार/फर्म को श्रमिक उपलब्ध करवाने अनिवार्य होगे। जिसका भुगतान **श्रमिकों के स्वीकृत दैनिक मानदेय के अनुपातिक आधार पर किया जावेगा।**
49. दरें संतोषप्रद नहीं होने पर नेगोसिएशन **अथवा काउंटर ऑफर देने का अधिकार** नगरपालिका **के पास होगा।**
50. ठेका नियमों के अन्तर्गत ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार कटोती की जावेगी।
51. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी व ऑडिट टीम द्वारा किसी प्रकार की राशि निकाले जाने पर जमा करवानी होगी।
52. कार्य आदेश दिये जाने के पश्चात् कार्य की आवश्यकता नहीं होने पर ठेका अवधि के बीच में ठेका निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
53. सफाई का कार्य दैनिक आवश्यकता की विषय वस्तु वजह से संवेदक फर्म को कार्य आवंटन से पूर्व नगरपालिका रतननगर क्षेत्र में स्थायी कार्यालय स्थापित कर नगरपालिका को सूचित करना होगा। जिसमें पत्राचार/सम्पर्क हेतु मोबाईल नं. मय स्टाफ का नाम देना अनिवार्य होगा।

## ❖ कार्य का विवरण :–

1. आवंटित/निर्धारित **क्षेत्र मे उपलब्ध कराये गए श्रमिकों को साफ- सफाई का कार्य कर कचरे को कचरापात्र अथवा परिवहन वाहनो मे** डालना होगा।
2. **उपलब्ध कराये गए श्रमिकों को निर्धारित क्षेत्र** मे स्थित **समस्त छोटे बड़े नाले- नालियों** की सफाई करना व निकाला गया कचरा मलबा **परिवहन वाहनो मे** डालना **होगा।**
3. कार्य संबंधित कार्य क्षेत्र मे ही करना होगा, परन्तु आवश्यकता होने पर किसी भी क्षेत्र मे कार्य करवाया जा सकता है। इसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
4. सफाई कार्य हेतु श्रमिक मास्क, ग्लब्स आदि आवश्यक सुरक्षा उपकरण सहित मे ही कार्य करेगें।
5. त्यौहार, उत्सव, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर **क्षेत्र विशेष** मे की सफाई निर्देशानुसार दुबारा भी करवानी होगी। इसका अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा। लाईनिंग हेतु चूना/गुलाल आदि की व्यवस्था संबंधित संवेदक को करनी होगी।
6. आदेशितश्र **मिकों की संख्या** मे कार्य की आवश्यकता के अनुसार बदलाव, कमी या बढोतरी की जा सकती है।

## ❖ भुगतान :–

1. संवेदक **माह समाप्ति के** 07 दिवस **के** अंदर मासिक बिल भुगतान हेतु **कार्यालय मे** प्रस्तुत करेगा।
2. संवेदक बिल के साथ **प्रतिदिन** 8 घण्टे मे **श्रमिकों** द्वारा कराये गये कार्य का **विवरण एवं श्रमिकों की हाजिरी रजिस्टर की फोटो प्रतिबिल के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव मे भुगतान देय नही होगा।**
3. **स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा अधिकतम 3 दिवस मे प्रमाणित बिल को कार्य की गुणवत्ता की रिपोर्ट के साथ सफाई प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे।**

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रतननगर

Scanned with CamScanner

4. सफाईप्रभारी प्राप्त रिपोर्ट एवं जारी नोटिशों के आधार पर नियमानुसार कटौतियां एवं शास्तियां की गणना कर बिलों को समस्त संलग्न कों के साथ अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. नगरपालिका यदि अपरिहार्य कारणों से मासिक बिलों का भुगतान नहीं कर पाती है तो, संवेदक को कम से कम 2 माह तक स्वय के स्तर पर कार्य को निविदा शर्तों के अनुरूप संपादित करना होगा।

❖ **शास्तियां :–**

1. संवेदक द्वारा कार्यादेश से कम संख्या मे सफाई श्रमिक उपलब्ध कराने पर प्रतिदिन 500 रूपये शास्ति संवेदक पर आरोपित की जायेगी।
2. श्रमिकों द्वारा पूर्ण समय कार्य नही करने/कार्य छोडकर चले जाने पर भुगतान देय नही होगा व क्रमांक 01 के अनुसार आनुपातिक शास्ति भी काटी जायेगी।
3. सफाई संबंधित औज़ार उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिदिन 100/-की शास्ति आरोपित की जायेगी।
4. बैठक हेतु बुलाये जाने पर स्वयं अथवा प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने की स्थिति मे प्रति उलंघन 500/– रूपये शास्ति संवेदक पर आरोपित की जायेगी।
5. कार्यालय द्वारा लिखित मे कार्य संबन्धित सूचना एवं दस्तावेज़ मांगे जाने पर संवेदक द्वारा पूर्ण सूचना एवं दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करने की स्थिति मे प्रति कार्यालय पत्र 500/-

❖ **निरस्तीकरण :–**

1- कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी के पास होगा।
2. आदेश देने के पश्चात् श्रमिक उपलब्ध नही करने या कार्य अवधि मे बिना सूचना श्रमिकों द्वारा कार्यबंद करने पर एक वितीय वर्ष मे 2 बार लिखित नोटिस देकर कार्य आदेश निरष्त किया जा सकता है।
3. एक माह के कार्य दिवस में अधिकांश श्रमिक डयूटी पर नहीं आने पर या उनके स्थान पर अन्य श्रमिकों की व्यवस्था नहीं करने पर भी संबन्धित माह मे 2 बार लिखित नोटिस देकर कार्य आदेश निरष्त किया जा सकता है।
4. श्रमिकों काकार्य सन्तोषजनक नही होने पर ठेके की अवधि समय से पूर्व सात (7) दिन का नोटिस दिया जाकर,समाप्त कर दी जायेगी एवं जमा राशि जब्त कर दी जायेगी।
5. असंवैधानिक या भ्रष्ट तरीके अपनाने पर।
6. लगातार 3 मासिक बिलों मे निविदा राशि के 10 प्रतिशत से अधिक शास्ती कटौती होने परलिखित मे 7 दिवस का नोटिस देकर कार्य आदेश निरष्त किया जा सकता है।
7. संवेदक द्वारा वांछित संख्या मे श्रमिक उपलब्ध नही कराने के कारण संवेदक को एक वितीय वर्ष मे 2 बार लिखित नोटिस देकर कार्य आदेश निरष्त किया जा सकता है।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रतननगर

Scanned with CamScanner

8. निविदा प्रपत्र, अनुबंध एवं पालिका् के निर्देशो की पालना नही करने पर।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त पालिका न्यायलय के आदेश, राज्य या केन्द्र सरकार के आदेश अथवा प्रशासनिक/वितिय कारणों से किसी भी समय आदेश निरस्त कर सकती है। इसके लिये किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान देय नही होगा।

उपरोक्त बिन्दु 1 से 8 मे निरस्तीकरण करने पर संवेदक की धरोहर, प्रतिभूति राशि एवं समस्त बकाया भुगतान की राशि जब्त कर ली जायेगी लेकिन बिन्दु 9 मे निरस्तीकरण पर संवेदक को वास्तविक कार्य दिवस का भुगतान प्रतिभूति राशि व धरोहर राशि का भुगतान किया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रतननगर

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रतननगर

Scanned with CamScanner

## बोलीदाता/संवेदक द्वारा तकनीकी बिड में विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगाः–

| क्र. सं. | विवरण | रजिस्टेषन सं. | वर्ष | पंजीकरण दिनांक | संलग्नक क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 | | | | |
| 2 | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 | | | | |
| 3 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | | | | |
| 4 | वस्तु एवं सेवा कर (GST) | | | | |
| 5 | आयकर (पैन नंबर) | | | | |
| 6 | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958<br>या<br>इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत<br>या<br>इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत | | | | |

Scanned with CamScanner